

प्रपत्र-2

(देखें नियम-6 उप नियम-(1))
रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-योषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः—.....थाना नं0:—.....हल्का नं0:—.....

अंचलः—.....पुलिस थाना:—.....जिला:—.....

रैयत का नाम (सह-हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम		स्थायी पता			स्वामित्व / धारित भूमि का व्योरा		जमावंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा—उत्तराधिकार / दान क्रय / बंदोबस्तु / अन्य	अन्यक्षित अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकवा ए0 डी0	चौहड़ी	किस्म जमीन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

मैं/ हम योषणा करता हूँ/ करते हैं कि स्व-योषणा मैं की गई प्रविष्टि नेत्री/ हमारी जानकारी में सही है। स्व-योषणा मैं किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/ हम जवाबदेह हूँ/ है।

नोट:- इस प्रपत्र को दो प्रतियां में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदार्थ/ कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थान :

तिथि :

रैयत का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
मोबाईल नं. एवं आधार सं.